संख्या 1/14/98/का–प्रसको-2004

प्रेषक,

वी० के० मित्तल,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ०प्र० शासन।

लखनऊः दिनांक 21 जून, 2004

विषय :–राष्ट्रीय प्रशिक्षण नीति के अनुरूप प्रदेश के समस्त श्रेणी के कार्मिकों को प्रशिक्षित किया जाना।

महोदय,

कार्मिक विभाग-प्रशिक्षण समन्वय प्रकोष्ठ

मेरे पूर्वाधिकारी के द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 1/1/96-का–प्रसको-1998, दिनांक 21 अगस्त, 1998 एवं शासनादेश संख्या 1/2/96-का-प्रसको/1998, दिनांक 29 जून, 1998 में आपको यह निर्देश दिये गये थे, कि समस्त श्रेणी के कार्मिकों को अनिवार्य रूप से आधारभूत प्रशिक्षण दिलाया जाय तथा प्रशिक्षण हेतु नामित किये जाने के उपरान्त उन्हें अवश्य कार्यमुक्त किया जाय। उक्त सुस्पष्ट निर्देशों के बावजूद शासन के संज्ञान में यह लाया गया है, कि अनेक विभागों द्वारा चयनित अधिकारियों/कर्मचारियों को आधारभूत तथा अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु नामित नहीं किया जाता है अथवा नामित कर दिये जाने के उपरान्त, उन्हें प्रशिक्षण हेतु अवमुक्त नहीं किया जाता है। उक्त स्थिति उचित नहीं है। अतः आपको पुनः निम्नवत् निर्देशित किया जाता है :–

(1) शासनादेश दिनांक 21 अगस्त, 1998 के प्राविधानानुसार नवनियुक्त कार्मिकों को आधारभूत प्रशिक्षण के साथ-साथ अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु अवश्य नामित किया जाय।

(2) नामित किये गये कार्मिकों को शासनादेश दिनांक 29 जून, 1998 के प्राविधानानुसार प्रशिक्षण हेतु अवश्य कार्यमुक्त किया जाय। कार्यमुक्त न करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध उक्त शासनादेश के प्राविधानानुसार कार्यवाही भी सुनिश्चित की जाय।

2—कृपया उपर्युक्त निर्देशों का सभी स्तरों पर कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,
वी० के० मित्तल,
मुख्य सचिव।

संख्या 1/14/98(1)-का–प्रसको-2004, तद्दिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1—समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
2—निदेशक, उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी, लखनऊ।
3—समस्त निदेशक/प्रधानाचार्य, प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश।
4—समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5—सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
प्रदीप शुक्ला,
सचिव।

पी० एस० यू० पी०–ए० पी० 3 सा० नियुक्ति—2004—(391)—2000—प्रतियाँ (कम्प्यूटर/आफसेट)।